

**मोटर साईकिल पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय
बागपत।**

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आये।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 19.03.2025, 08.04.2025 व 22.04.2025 को नीलामी करायी गयी थी किन्तु किसी भी बोलीदाता द्वारा उक्त नीलामी में भाग नहीं लिया गया जिस कारण से वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी नहीं हो सकी।

वित्तीय हानि के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय बागपत में प्रस्तावित मोटर साईकिल पार्किंग के ठेकों की पुनः नीलामी के सन्दर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 29.10.2025 के अनुपालन में नीलाम समिति को उक्त ठेके की नीलामी खुली बोली द्वारा पुनः कराया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। नीलाम समिति द्वारा दिनांक 11.11.2025 की सांय 04:00 बजे उक्त ठेके की पुनः नीलामी जनपद न्यायालय बागपत परिसर स्थित सम्मेलन कक्ष में कराये जाने का निर्णय लिया गया।

नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpatt> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोटल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से दिनांक 10.11.2025 को दोपहर 01.00 बजे से पूर्व फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि
01	मोटर साईकिल एवं साईकिल पार्किंग	25000/- रूपये

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मोटर साईकिल एवं साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
साईकिल	05 रूपये/वाहन

नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

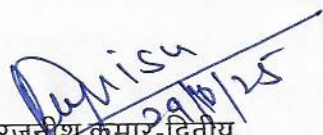
1. यह वाहन पार्किंग ठेका नीलामी दिनांक से वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि (12 नवम्बर 2025 से 31 मार्च 2026) तक के लिये वैध होगा।
2. जिस ठेकेदार/फर्म के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की न्यूनतम बोली माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 3390/एडमिन. (बी.-I) सेक्शन दिनांकित 28.11.2024 के परिपेक्ष्य में शेष अवधि 04 माह 18 दिन हेतु धनराशि अंकन 224190/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।



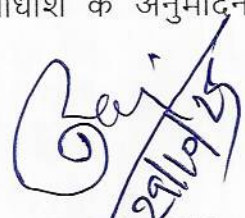
6. धरोहर धनराशि के रूप में अंकन 25000/- रूपये का डिमाण्ड डॉफ्ट जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में जमा किया जायेगा। सर्वाधिक बोली द्वारा ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति/फर्म द्वारा सर्वाधिक बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल न्यायालय में जमा कराना होगा।
7. जिस ठेकेदार/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
8. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
9. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का सम्पूर्ण भाग तत्काल जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते हैं।
10. वाहन पार्किंग ठेकेदार/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
11. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
12. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
13. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर कानूनी कार्य के लिये नहीं करेगा।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


रजनीश कुमार-द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,
बागपत।


रत्नम श्रीवास्तव
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।


पवन कुमार राय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष (एस.सी./एस.टी एक्ट) बागपत।

Approved
29-X-25
District Judge
Bagpat

अस्थायी दुकान हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 29.10.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर शेष गेट संख्या-2 के दक्षिण में स्थित स्थान संख्या-1 एवं गेट संख्या-03 के उत्तर में स्थान संख्या- C,D,H अस्थायी 04 दुकानों के स्थान आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज दिनांक 29.10.2025 को समय सायं 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आये। नीलाम समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त 04 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय बागपत स्थित सम्मेलन कक्ष में 11.11.2025 की सायं 04:30 बजे खुली बोली द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है एवं फार्म दिनांक 10.11.2025 को दोपहर 01.00 बजे से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।

04 अस्थायी दुकानों का स्थान विवरण

क्र.सं.	दुकान का विवरण	भूमि का विवरण
01	गेट संख्या-03 के उत्तर में 03 अस्थायी दुकान हेतु स्थान संख्या क्रमशः C,D,H	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	गेट संख्या-02 के दक्षिण में 01 अस्थायी दुकान हेतु स्थान संख्या J	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल 20X15 फिट

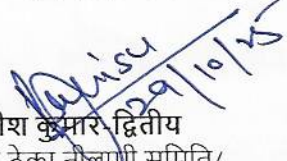
नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

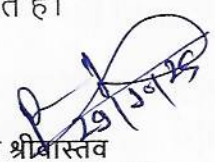
1. प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-2026 (12 नवम्बर 2025 से 31 मार्च 2026) तक के लिये होगा।
2. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवंटन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये प्रत्येक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग - अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
6. किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में एक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटित होने पर किसी भी दशा में दूसरी अस्थाई दुकान हेतु स्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु प्रत्येक अस्थायी दुकान के स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली 12122/- रुपये से आरम्भ की जायेगी।

8. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवंटन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
9. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
10. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की सम्पूर्ण धनराशि को तत्काल जमा करना होगा धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते हैं।
11. अस्थायी दुकान हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी दुकान के स्थान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।
12. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। अस्थाई दुकानों के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थाई दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रुपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


रजनीश कुमार-द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,
बागपत।


रत्नम श्रीवास्तव
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।


पवन कुमार राय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष (एस.सी./एस.टी एक्ट) बागपत।

Approved.

District Judge
Bagpat